न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 490/2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88/53 आरटीए

काशीराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट नि.दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

—वादी—

बनाम

1—ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप
2—हरिराम पुत्र रामप्रताप
3—रामजस पुत्र रामप्रताप — जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4—पी.एन.बी.बैंक शाखा दीनगढ़, जरिए मैनेजर।
5—तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री ओमप्रकाश भार्मा — वकील वादी
2. श्री जिनेन्द्र कुमार — वकील प्रति स 1 ता 3
3. तहसीलदार संगरिया राज—पेरोकार प्रतिवादी संख्या 5

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय **दिनांकः—**

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 8/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 5 डी.एन.जी.खाता संख्या 159/99 में योग खाता 1.771 हि. में से वादी का 0.443 हि. तथा चक नम्बर 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 184/120 में वादी के नाम योग खाता 7.590 है0 में से 1/4 हिस्सा व चक नम्बर 1 ए.एम.पी. (बी) खाता संख्या 38/94 में योग खाता 5.440 है0 में से 1.204 हि. भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख वर्तमान जमाबन्दी में है नकल जमाबन्दी सलग्न दावा ह उक्त जमाबन्दीयों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(क) चक नं. 5 डी.एन.जी. खाता सं. 159/99 सम्वत् 2070 से 2073

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर	
178/139	51	11 से 13, 18 से 20, 23/1.771,	योग 1.771 है.नहरी

(ख) चक नं. 4 ए.एम.पी. खाता सं. 184/120 सम्वत् 2071 से 2074

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
176/139	09	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025,से 6 से 15/2.530,
177/139	10	1 से 15/3.795, योग 7.590 है.नहरी

(ग) चक नं. 1 ए.एम.पी.(बी) खाता सं. 38/94 सम्वत् 2070 से 2073

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
176/138	53	12 से 20/2.530,21/1/0.215, 21/2/0.038, 22/1/0.215, 22/2/0.038, 23/1/0.215 , 23/2/0.038, 24/1/0.215 24/2/0.038, 25/1/0.215, 25/2/0.038,
177/138	52	4/2/0.051,4/3/0.025,5/1/0.152,5/2/0.025, 5/3/0.038, 6/2/0.114,6/3/0.038,10—11/0.506, 15/1/0.215, 15/2/0.038, 20/0.253, 21/1/0.215, 21/2/0.038, 22/2/0.038, 22/3/0.152, योग 5.440 है.नहरी

वादी के नाम से चक नम्बर 1 ए.एम.पी. (बी) मुताबिक सम्वत् 2066 खाता संख्या 38/94 में 1.204 है0 भूमि दर्ज थी उक्त खाता पूर्ण रूप से अलग हो चुका है जिसमें उक्त हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि वादी के सगे भाई हरिराम व रामजस है ने मुताबिक घरू विभाजन अपनी कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवा वादी का नाम कलमजन करवा चुके है। वादी को घरू विभाजन में चक नम्बर 5 डी.एन.जी. खाता संख्या 159/99 में कुल 1.771 हि. भूमि प्राप्त हुई है उक्त खाता से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1.771 हि. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा चक नम्बर 4 ए.एम.पी. खाता संख्या 184/120 में वादी को घरू विभाजन में कुल 3.036 है0 भूमि प्राप्त हुई है उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 2 हरिराम के हिस्सा से 1.138 हि. भूमि कम करके वादी का हिस्सा बढाया जावे जाकर वादी को 3.036 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, इसी अमर की घोष्णात्मक डिकरी वादी लेना चाहता है जिसका वह मुताबिक घरू विभाजन अधिकारी एवं दावेदार हैं। वादी का अर्सा पूर्व से अपने सगे भाईयों यानि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व अन्य के आधार पर घरू विभाजन रहा है तथा प्रतिवादीगण ने अपना—अपना खाता भी अलग करवा लिया है अब वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का ही हिस्सा व खाता शैष रहा है। मुताबिक घरू विभाजन वादी ने अपने कब्जा

काश्त की भूमि का वर्णन दावा के पहरा संख्या 4 में निम्न प्रकार से किया है :– वादी–काशीराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी दीनगढ़ के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण :–

(क) चक नं. 5 डी.एन.जी. खाता सं. 159/99 सम्वत् 2070 से 2073

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
178/139	51	11 से 13, 18 से 20, 23/1.771, योग 1.771 है.नहरी

(ख) चक नं. 4 ए.एम.पी. खाता सं. 184/120 सम्वत् 2071 से 2074

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
176/139	09	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025,
177/139	10	1 से 5/1.265, 6–15/0.506, योग 3.036 है.नहरी मय गै0मु0 पहरा संख्या 4 वर्णित विवरण अनुसार भूमि पर वादी की कब्जा काश्त है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन कब्जा काश्त अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नहीं होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि मुताबिक घरू विभाजन एवं कब्जा काश्त अनुसार भूमि का खाता अलग–अलग से कायम करा, रकम राज अलग से कायम करा लेवें, पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल कर टाल मटोल करते रहे। अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया। बस यही वाद कारण है।

अत वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादी मुताबिक घरू विभाजन चक 5 डीएनजी खाता संख्या 159/99 में कुल 1.771 है तथा चक नमबर 4 एएमपी खाता संख्या 184/120 में कुल 3.036 है. भूमि का खातेदार काश्तकार है इस प्रकार चक नमबर 5 डीएनजी खाता संख्या 159299 से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम कलमजन किया जावे तथ्झा चक नम्बर 4 एएमपी खाता संख्या 184/120 से प्रतिवादी संख्या 2 हरिराम के हिस्सा से 1.138 हि. भूमि कम करके वादी का हिस्सा बढाये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसका वादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया, जो भाामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 5 की ओर से जबाव स्टेट प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादीगण को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादीगण रिकार्ड की गई। वादी काशीराम ने अपने साक्ष्य में आदश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का भापथ–पत्र प्रस्तुत किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण बन्द किया गया। साथ ही वकील वादी ने फार्म नम्बर 3 के साथ निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये :–

- चक 4 एएमपी खाता संख्या 184/120 जं. सम्वत 2071–74 खाता औम वगैरा प्रदर्श–1
- चक 5 डीएनजी खाता संख्या 159/99 जं.सम्वत 2070–73 खाता औम वगैरा प्रदर्श–2
- चक 1 एएमपी–बी खाता संख्या 38/94 जं. सम्वत 2070–73 खाता इन्द्राज वगैरा प्रदर्श–3

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई व बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सगे भाई है एवं सह–काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 घरू बंटवारा में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा कर वाद पत्र एव काउन्टर क्लेम अनुसार कृशि भूमि प्राप्त कर रहे है। वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम का कोई विरोध नही है। अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक अनुतोश डिक्री किया जाकर पक्षकारो का राजस्व रिकार्ड में खाता अलग–कायम कर रकमराज अलग कायम करने का आदेश देवे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर सहमति दौराने बहस दी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 5 डीएनजी खाता संख्या 159/99 खाता ओम वगैरा सम्वत 2070–2073 व चक 4 एएमपी के खाता संख्या 184/120 खाता औम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है। वाद पत्र में कोई विरोध नही है। मुताबिक वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 घोशणा/खाता विभाजन के अधिकारी है। वाद पत्र में वादी/प्रतिवादीगणो का घरू बंटवारा मुताबिक खातेदार काश्तकार घोशित कर खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि चक नम्बर 5 डी.एन.जी. खाता संख्या 159/99 में वादी काशीराम को कुल 1.771 है. का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक 4 एएमपी खाता संख्या 184/120 में कुल 7.590 है. मे से वादी

काशीराम को 3.036 है. तथा प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश को 4.554 है. भूमि के खातेदार काश्तकार घोशित कर उक्त खाते से प्रतिवादी संख्या 2 हरिराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा बढाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा निम्नानुसार खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

वादी काशीराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी दीनगढ़ के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमिः–

चक 5 डीएनजी खाता सं 159/99 ज.स. 2070–2073		
प. नं.	मु. नं.	किला नं.
178/139	51	11 i 13, 18 से 20, 23/1.771 योग 1.1771 है. नहरी
चक 4 एएमपी खाता संख्या 184/120 ज.स. 2071–2074		
प. नं.	मु. नं.	किला नं.
176/139	09	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025,3/1/0.228,3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025,
177/139	10	1 से 5/1.265, 6,15/0.506 योग 3.036 है. नहरी मय गै.मु.

प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी दीनगढ़ के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमिः–

चक 4 एएमपी खाता संख्या 184/120 ज.स. 2071–2074		
प. नं.	मु. नं.	किला नं.
176/139	09	6 से 15/2.530
177/139	10	7 से 14/2.024 योग 4.554 है.नहरी

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज.....×.....मुब्लिक.....×.....बाबत.....100/–.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....×.....को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/04/2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(रमेभा देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88/53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 490/2022

काशीराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट नि.दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1–ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप
2–हरिराम पुत्र रामप्रताप
3–रामजस पुत्र रामप्रताप
जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4–पी.एन.बी.बैंक शाखा दीनगढ़, जरिए मैनेजर।
5–तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश भार्मा एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 3 श्री जिनेन्द्र कुमार एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक नम्बर 5 डी. एन.जी. खाता संख्या 159/99 में वादी काशीराम को कुल 1.771 है. का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक 4 एएमपी खाता संख्या 184/120 में कुल 7.590 है. मे से वादी काशीराम को 3.036 है. तथा प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश को 4.554 है. भूमि के खातेदार काश्तकार घोशित कर उक्त खाते से प्रतिवादी संख्या 2 हरिराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा बढाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा निम्नानुसार खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

वादी काशीराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी दीनगढ़ के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमिः–

चक 5 डीएनजी खाता सं 159/99 ज.स. 2070–2073		
प. नं.	मु. नं.	किला नं.
178/139	51	11 i 13, 18 से 20, 23/1.771 योग 1.1771 है. नहरी
चक 4 एएमपी खाता संख्या 184/120 ज.स. 2071–2074		
प. नं.	मु. नं.	किला नं.
176/139	09	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025,3/1/0.228,3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025,
177/139	10	1 से 5/1.265, 6,15/0.506 योग 3.036 है. नहरी मय गै.मु.

प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी दीनगढ़ के हक,हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमिः–

चक 4 एएमपी खाता संख्या 184/120 ज.स. 2071–2074		
प. नं.	मु. नं.	किला नं.
176/139	09	6 से 15/2.530
177/139	10	7 से 14/2.024 योग 4.554 है.नहरी

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....×....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत्.....×.....निल.....100/–....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....×....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/04/2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official